

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-914

जिसका उत्तर 21 नवंबर, 2019 को दिया जाना है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं

914. सुश्री मिमी चक्रवर्ती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 60 हजार मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन करने की क्षमता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र ने उत्पादन लक्ष्य का केवल 2.4 प्रतिशत ही हासिल किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी पूर्ण क्षमता को हासिल करने के लिए सरकार की क्या कार्ययोजना है; और

(घ) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए जल और अन्य विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने की स्थिति क्या है और नए प्रस्ताव क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कराए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख और मध्यम स्कीमों (अर्थात् 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली स्कीमों) की मूल्यांकित जल विद्युत क्षमता 62604 मेगावाट है। इसमें से कुल 3596 मेगावाट (5.74 प्रतिशत) की स्कीमें प्रचालन में हैं। राज्य-वार क्षमता का ब्यौरा और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इसके विकास की स्थिति अनुबंध-I में दी गई है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रचालित परियोजनाओं की सूची अनुबंध-II में दी गई है।

(ग) : सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित देश में जल विद्युत विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विगत समय में अनेक नीतिगत पहलें अर्थात् राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005, जल विद्युत नीति 2008, टैरिफ नीति 2016, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश में जल विद्युत को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपायों का मार्च, 2019 में अनुमोदन किया है:

- i. बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (एलएचपी) (25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना।
- ii. जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) को गैर सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक अलग इकाई घोषित करना।
- iii. प्रारंभिक वर्षों में जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ औचित्यीकरण उपाय।
- iv. बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता।
- v. समर्थकृत अवसंरचना अर्थात सड़कों/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता।

200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 1.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट

200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 1.0 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट

(घ) : उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल 3733 मेगावाट की कुल 8 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 21.11.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 914 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत संभाव्यता विकास की स्थिति

(संस्थापित क्षमता - 25 मेगावाट से अधिक के संबंध में)

क्षेत्र/राज्य	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर अभिचिन्हित क्षमता		प्रचालन में क्षमता	
	कुल	25 मेगावाट से अधिक	(मेगावाट)	%
	(मेगावाट)	(मेगावाट)		
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
मेघालय	2394	2298	322	14.01
त्रिपुरा	15	0	0	0.00
मणिपुर	1784	1761	105	5.96
असम	680	650	350	53.85
नागालैंड	1574	1452	75	5.17
अरुणाचल प्रदेश	50328	50064	515	1.03
मिजोरम	2196	2131	60	2.82
सिक्किम	4286	4248	2169	51.06
सिक्किम सहित कुल (एनईआर)	63257	62604	3596	5.74

लोक सभा में दिनांक 21.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 914 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनईआर में प्रचालन में जल विद्युत स्टेशनों (> 25 मेगावाट) की सूची

क्रम सं.	यूटिलिटी/स्टेशन	क्षेत्र	विकासकर्ता	क्षमता (मेगावाट)
अरुणाचल प्रदेश				
1	रंगानदी	केंद्रीय	नीपको	405.00
2	पारे	केंद्रीय	नीपको	110.00
असम				
3	कोपिली	केंद्रीय	नीपको	200.00
4	खोंडोंग	केंद्रीय	नीपको	50.00
5	कारबी लांगपी	राज्य	एपीजीसीएल	100.00
मणिपुर				
6	लोकटक	केंद्रीय	एनएचपीसी	105.00
मेघालय				
7	उमियम स्टे.-I	राज्य	एमईपीजीसीएल	36.00
8	न्यू उमतरू	राज्य	एमईपीजीसीएल	40.00
9	उमियम स्टे.-IV	राज्य	एमईपीजीसीएल	60.00
10	मिंटडू स्टे.-I	राज्य	एमईपीजीसीएल	126.00
11	किरदमकुलई	राज्य	एमईपीजीसीएल	60.00
मिजोरम				
12	तुरियल	केंद्रीय	नीपको	60.00
नागालैंड				
13	दोयांग	केंद्रीय	नीपको	75.00
सिक्किम				
14	रंगित-III	केंद्रीय	एनएचपीसी	60.00
15	तीस्ता-V	केंद्रीय	एनएचपीसी	510.00
16	तीस्ता-III	राज्य	तीस्ता ऊर्जा	1200.00
17	चूजाचेन	निजी	जीआईपीएल	110.00
18	दिक्चू	निजी	एसकेपीपीपीएल	96.00
19	ताशिडिंग	निजी	शीघा एनर्जी	97.00
20	जोरथांग लूप	निजी	डैस एनर्जी	96.00
कुल				3596.00

लोक सभा में दिनांक 21.11.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 914 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 3,733 मेगावाट की 8 निर्माणाधीन परियोजनाएं

31.10.2019 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	सुबानसिरी लोअर	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	2000
2	तीस्ता-VI	सिक्किम	एनएचपीसी	500
3	कामेंग	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	600
4	रंगित-IV	सिक्किम	जल पावर प्रा. लि.	120
5	भास्मे	सिक्किम	गाती इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	51
6	रंगित-II	सिक्किम	सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	66
7	रौंगनीचू	सिक्किम	मध्य भारत पावर कारपोरेशन लि.	96
8	पन्न	सिक्किम	हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	300
कुल				3733
